Namdev Finvest Private Limited

Har Pal Aap Ke Saath ..

उचित व्यवहार संहिता

नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

NAMDEV FINVEST PRIVATE LIMITED

Registered Office:
S-1, S-7-8, SHREE NATH PLAZA, SECOND FLOOR,
NEER SAGAR MARKET, BHANKROTA, JAIPUR,
RAJASTHAN-302026
INDIA
CIN NO: U65921RJ1997PTC047090

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/16

डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.054/03.10.119/2015-16 दिनांक 28 सितंबर 2006 ने सभी एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) पर दिशा-निर्देश जारी किए, जिन्हें उधार कारोबार करते समय उनके द्वारा अपनाया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण के नियमों और शर्तों पर पर्याप्त प्रकटीकरण पर सामान्य सिद्धांत शामिल हैं और एक गैर-जबरदस्त वसूली पद्धति को भी अपनाना है। 1 एनबीएफसी की नई श्रेणी अर्थात; एनबीएफसी-एमएफआई और सोने के आभूषणों के बदले एनबीएफसी ऋण देने में भी तेजी से वृद्धि। संशोधित परिपत्र 26 मार्च 2012 को जारी किया गया था।

कंपनी द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार संहिता निम्नलिखित हैं:

उ. (i) ऋण के लिए आवेदन और उनकी प्रक्रिया

(ए) उधारकर्ता को सभी संचार स्थानीय भाषा या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में हैं।

(बी) ऋण आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी शामिल होती है जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित करती है, ताकि अन्य एनबीएफसी द्वारा प्रस्तावित नियमों और शर्तों के साथ एक सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता द्वारा सूचित निर्णय लिया जा सके। ऋण आवेदन पत्र में आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का भी उल्लेख होता है।

(सी) कंपनी सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति के लिए पावती देती है। समय सीमा जिसके भीतर ऋण आवेदनों का निपटान किया जाएगा, पावती में इंगित होता है।

(ii) ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें

कंपनी स्वीकृति पत्र या अन्यथा के माध्यम से उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में ऋण लेने वाले को लिखित रूप में बताती है, वार्षिक ब्याज दर और उसके आवेदन की विधि सहित नियमों और शर्तों के साथ स्वीकृत ऋण की राशि और स्वीकृति रखती है इन नियमों और शर्तों के उधारकर्ता द्वारा अपने रिकॉर्ड पर। कंपनी ऋण प्रलेख में बोल्ड अक्षरों के माध्यम से अपने उधारकर्ताओं से विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज के बारे में सूचित करती है।

कंपनी ऋण की मंजूरी/वितरण के समय ऋण प्रलेख में उद्धृत सभी अनुलग्नकों की एक प्रति के साथ ऋण प्रलेख की एक प्रति अधिमानतः उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करती है।

(iii) नियमों और शर्तों में परिवर्तन सहित ऋणों का संवितरण

(ए) कंपनी ऋण लेने वालों को स्थानीय भाषा में या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना देती है, जिसमें संवितरण अनुसूची, ब्याज दरें, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क आदि शामिल हैं। कंपनी यह भी सुनिश्चित करती है कि परिवर्तन ब्याज दरों और शुल्कों में केवल संभावित रूप से प्रभावी होते हैं। इस संबंध में एक उपयुक्त शर्त को ऋण प्रलेख में शामिल किया गया है।

(बी) प्रलेख के तहत भुगतान या प्रदर्शन को वापस लेने / तेज करने का निर्णय ऋण प्रलेख के अनुरूप लिया जाता है।

(सी) यदि कंपनी किए गए ऋणों के लिए कोई प्रतिभूति स्वीकार करती है, तो उसे सभी देय राशियों की चुकौती पर या किसी भी वैध अधिकार या किसी अन्य दावे के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन ऋण की बकाया राशि की वसूली पर जारी किया जाएगा। उधार लेने वाला। यदि सेट ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को शेष दावों के बारे में पूर्ण विवरण और उन शर्तों के बारे में नोटिस दिया जाएगा जिनके तहत कंपनी संबंधित दावे का निपटान/भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने की हकदार है।

(iv) सामान्य

(ए) कंपनी ऋण प्रलेख के नियमों और शर्तों में प्रदान किए गए उद्देश्यों को छोड़कर उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है (जब तक कि कोई जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं आती है जो पहले उधारकर्ता द्वारा प्रकट नहीं की गई थी)।

(बी) उधारकर्ता के खाते के हस्तांतरण के लिए उधारकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने के मामले में, सहमति या अन्यथा यानी कंपनी की आपत्ति, यदि कोई हो, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर सूचित की जाती है। ऐसा स्थानांतरण कानून के अनुरूप पारदर्शी संविदात्मक शर्तों के अनुसार होगा।

(सी) ऋण की वसूली के मामले में, कंपनी अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं ले रही है; विषम समय में उधारकर्ताओं को लगातार परेशान करना, ऋण की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग करना आदि। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

2 ग्राहक सुरक्षा के उपाय के रूप में और बैंकों और एनबीएफसी के उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न ऋणों के पूर्व भुगतान के संबंध में एकरूपता लाने के लिए, आरबीआई द्वारा यह सलाह दी जाती है कि एनबीएफसी सभी फ्लोटिंग दर पर पुरोबंध शुल्क / पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाएंगे व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत मीयादी ऋण।

(v) निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल ने संगठन के भीतर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया है। ऐसा तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि ऋण देने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाता है। निदेशक मंडल उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की आवधिक समीक्षा भी करता है। ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट नियमित अंतराल पर बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है, जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(vi) इस अद्यतन उचित व्यवहार संहिता को मई 2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है। इसे विभिन्न हितधारकों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

(vii) शिकायत निवारण अधिकारी

परिचालन स्तर पर, कंपनी अपने ग्राहकों के लाभ के लिए, अपनी शाखाओं/स्थानों पर जहाँ व्यवसाय संचालित होता है, निम्नलिखित सूचनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करती है:

(ए) शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन/मोबाइल नंबर और ईमेल पता भी) जिससे कंपनी के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए जनता से संपर्क किया जा सकता है।

(बी) यदि एक महीने की अवधि के भीतर शिकायत/विवाद का निवारण नहीं होता है, तो ग्राहक आरबीआई के डीएनबीएस के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी (पूर्ण संपर्क विवरण) से अपील कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय है।

संक्षेप में, उपरोक्त सार्वजनिक सूचना ग्राहकों को कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र, शिकायत निवारण अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के विवरण के साथ उजागर करने के उद्देश्य से काम करती है।

(viii) उचित व्यवहार संहिता संप्रेषित करने की भाषा और तरीका

उचित व्यवहार संहिता (जो स्थानीय भाषा में है, कंपनी द्वारा अपने बोर्डों के अनुमोदन से लागू की जाती है। इसे विभिन्न हितधारकों की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर डाला जाता है।

(ix) एनबीएफसी द्वारा लगाए गए अत्यधिक ब्याज का विनियमन (2 जनवरी 2009 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.204/सीजीएम (एएसआर)-2009)

(ए) कंपनी के बोर्ड ने फंड की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर मॉडल अपनाया है और ऋण और अग्रिमों के लिए ब्याज की दर निर्धारित की है। ब्याज की दर और जोखिम के वर्गीकरण के लिए दृष्टिकोण और विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए ब्याज की अलग-अलग दर चार्ज करने के औचित्य को उधारकर्ता या ग्राहक को आवेदन पत्र में प्रकट किया जाता है और स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है।

(बी) ब्याज की दरें और जोखिमों के वर्गीकरण के लिए दृष्टिकोण कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा या संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। जब भी ब्याज दरों में परिवर्तन होगा, वेबसाइट में प्रकाशित या अन्यथा प्रकाशित सूचना को अद्यतन किया जाएगा।

(सी) ब्याज की दर वार्षिक दर है ताकि उधारकर्ता को सटीक दरों के बारे में पता हो जो खाते से वसूल की जाएगी।

(x) एनबीएफसी द्वारा लगाए गए अत्यधिक ब्याज के बारे में शिकायतें (सीसी संख्या 95 दिनांक 24 मई, 2007 को जारी)

कंपनी अत्यधिक दर नहीं वसूलेगी और अपने उधारकर्ताओं से ली जाने वाली दरें प्रचलित बाजार स्थितियों, फंड की लागत, परिचालन लागत और नियामक के नियमों और शर्तों के अधीन होंगी।

(xi) एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित वाहनों को वापस लेने के संबंध में स्पष्टीकरण (सीसी संख्या 139, दिनांक 24 अप्रैल 2009 द्वारा जारी)

कंपनी के पास उधारकर्ता के साथ अनुबंध/ऋण प्रलेख में एक अंतर्निहित पुन: कब्ज़ा खंड है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अनुबंध/ऋण प्रलेख के नियमों और शर्तों में निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान भी शामिल हैं: (ए) कब्जा लेने से पहले नोटिस की अवधि; (बी) जिन परिस्थितियों में नोटिस की अवधि को माफ किया जा सकता है; (सी) सुरक्षा का कब्जा लेने की प्रक्रिया; (डी) संपत्ति की बिक्री/नीलामी से पहले कर्जदार को कर्ज चुकाने का अंतिम मौका देने का प्रावधान; (ङ) उधारकर्ता को कब्जा वापस लेने की प्रक्रिया; और (च) संपत्ति की बिक्री/नीलामी की प्रक्रिया। इस तरह के नियमों और शर्तों की एक प्रति उधारकर्ता को परिपत्र के संदर्भ में उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें यह कहा गया था कि एनबीएफसी सभी उधारकर्ताओं को ऋण प्रलेख में उद्धृत सभी बाड़ों की एक प्रति के साथ अनिवार्य रूप से ऋण प्रलेख की एक प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। ऋण की मंजूरी/वितरण के समय, जो ऐसे अनुबंधों/ऋण समझौतों का एक प्रमुख घटक हो सकता है।

बी। कंपनी सूक्ष्म वित्त गतिविधियों के कारोबार में लगी हुई है। एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू होने वाली अन्य उचित प्रथाएं निम्नानुसार हैं:

कंपनी वर्तमान में सूक्ष्म वित्त गतिविधियों में नहीं है।

सी. सोने के आभूषणों की संपार्श्विक जमानत पर उधार देना

सोने के आभूषणों के बदले व्यक्तियों को उधार देते समय, कंपनी उपरोक्त सामान्य दिशानिर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित को अपनाती है।

कंपनी ने सोने के एवज में उधार देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

ए। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं कि आरबीआई द्वारा निर्धारित केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी ऋण देने से पहले ग्राहक पर पर्याप्त सावधानी बरती जाती है,

बी। प्राप्त आभूषणों के लिए उचित परख प्रक्रिया,

सी। सोने के आभूषणों के स्वामित्व को संतुष्ट करने के लिए आंतरिक प्रणाली,

डी। गहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए पर्याप्त प्रणाली, निरंतर आधार पर प्रणालियों की समीक्षा करना, संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करना। आम तौर पर, ऐसे ऋण उन शाखाओं द्वारा नहीं दिए जाने चाहिए जिनके पास आभूषणों के भंडारण के लिए उपयुक्त सुविधा नहीं है,

इ। संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किए गए आभूषणों का उचित बीमा होना चाहिए,

एफ। उधारकर्ता को पर्याप्त पूर्व सूचना के साथ पुनर्भुगतान न करने की स्थिति में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया। हितों का कोई टकराव नहीं होना चाहिए और नीलामी प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीलामी के दौरान समूह कंपनियों और संबंधित संस्थाओं सहित सभी लेन-देन में हाथ की लंबाई संबंध हो,

जी। नीलामी की घोषणा कम से कम दो समाचार पत्रों, एक स्थानीय भाषा में और दूसरा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके जनता के लिए की जानी चाहिए।

एच। एक नीति के रूप में, एनबीएफसी को आयोजित नीलामियों में स्वयं भाग नहीं लेना चाहिए,

मैं। गिरवी रखे गए सोने की नीलामी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीलामकर्ताओं के माध्यम से ही की जाएगी।

जे। नीति में मोबिलाइजेशन, निष्पादन और अनुमोदन के कर्तव्यों को अलग करने सहित धोखाधड़ी से निपटने के लिए स्थापित की जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जाएगा।

(ii) ऋण समझौता नीलामी प्रक्रिया के बारे में विवरण का भी खुलासा करता है।